

अनुदान संख्या 55 - आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय
GRANT No. 55-MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	504,14,00		
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	504,15,00	496,70,18	-7,44,82
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	5,61,00	5,33,00	-28,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"			
जल पूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	4000.00		
पू.	S.	1.00	7099.00	7097.00
पु.	R.	3098.00		-2.00
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"			
आवास	Housing			
मू.	O.	5289.00		
पु.	R.	-3353.77	1935.23	1824.98
				-110.25

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services			
मू.	O.	800.00		
			608.44	308.44
पु.	R.	-191.56		-300.00
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मु.	O.	33400.00		
			33591.56	33591.56
पु.	R.	191.56		..

(I) 3101.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3000.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2216" - "शहरी आवास - सार्वजनिक क्षेत्रों के और अन्य उपक्रमों को सहायता - शहरी गरीब को आवास उपलब्ध कराने के लिए स्कीम" के अंतर्गत स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "2216" - "सामान्य - अन्य व्यय - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से शहरी गरीबों से संबंधित राष्ट्रीय रणनीति के लिए सहायता" के अंतर्गत 306.75 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष "3475" - "शहरोन्मुख रोजगार कार्यक्रम - स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" के अंतर्गत 491.56 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन/निष्पादन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों और उपयोग प्रमाण पत्रा के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(I) Provision of Rs 3101.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.3000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2216" - "Urban Housing - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Scheme for housing the urban poor"- due to non-finalisation of Scheme.

(II) Under Major Head "2216" - "General - Other Expenditure - Assistance for National Strategy for Urban poor from United Nations Development Programme" - saving of Rs.306.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs); and

(III) Under Major Head "3475" - "Urban Oriented Employment Programme - Swaran Jayanti Shahari Rojgar Yojana" - saving of Rs.491.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of sufficient proposals from the implementing/executing agencies and utilisation certificate.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 75.88 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3098.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2215" - "मल जल और सफाई - सफाई सेवाएं - मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत की सफाई" के अंतर्गत मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3096.00 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - शहरोन्मुख रोजगार कार्यक्रम - स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 191.56 लाख रु. का अधिक व्यय (33400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर कार्य करने के लिए राज्य सरकारों से अतिरिक्त मांग किए जाने के कारण हुआ।

(IV) Under one head saving of Rs.75.88 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.3098.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 under Major Head "2215" - "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Low Cost Sanitation for Liberation of Scavengers". Actual excess, however, was Rs.3096.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Other General Economic Services-Urban Oriented Employment Programme - Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana" - excess of Rs.191.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.33400.00 lakhs) was due to additional demand from the State Governments for taking up more projects/programmes.